21.12.20

पत्रावली पेश हुई।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/3, 3 व 11 के वकील उपस्थित।

वादी वकील ने जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मोमाराम का देहान्त हो चुका है।

वकील प्रतिवादी संख्या 5 व 11 ने निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र का अभिप्राय ही समाप्त हो गया है क्योंकि वादी ने मोमाराम प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की खातेदारी भूमि में से घोषणा चाही थी चूंकि प्रतिवादी सं. 01 मोमाराम की मृत्यु हो जाने से स्वत: ही उनके नाम फौतगी म्युटेशन भरा जावेगा, फौतगी म्युटेशन हेतु घोषणा की आवश्यकता नहीं है वर्तमान वाद-पत्र वादी का वाद कारण ही समाप्त हो चुका है इसलिए आज ही वाद-पत्र निष्प्रभावी होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों के माननीय अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 मोमाराम के हिस्से में से घोषणा चाही है और यह तथ्य भी स्वीकृत है कि मोमाराम की मृत्यु हो चुकी है। अत: वाद [illegible] निष्प्रभावी हो चुका है [illegible] अत: वाद-पत्र वादी का, [illegible] निष्प्रभावी होने से खारिज किया जाता। पत्रावली फैसला सुनाई जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:55 IST
Reason: SelfAttested